जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 22.03.2025**

दिनांक 22.03.2025 को शहर बिजनौर में ई-रिक्शाओं के चालको को यातायात के नियम व कानून से अवगत कराया गया।

आज दिनांक 22.03.2025 को प्रभारी यातायात द्वारा पुलिस लाईन जनपद बिजनौर में ई-रिक्शा चालको के साथ गोष्ठी की गई, जिसमें ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

गोष्ठी के दौरान ई-रिक्शा चालको को प्रभारी यातायात द्वारा अवगत कराया गया कि ई-रिक्शा चलाते समय सभी ई-रिक्शा चालक पूर्णत: यातायात नियमों का पालन करेंगे ।

- बाजार / भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बिना वजह अपनी ई-रिक्शाओं को कही भी खड़ी न करें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- ई-रिक्शा चालक ध्यान रखे कि ई-रिक्शा चलाते समय बीच रास्ते पर अपनी ई-रिक्शा नही खड़ी करेगें एवं सवारी बैठाने व उतारने के दौरान अपनी ई-रिक्शा को सड़क से नीचे उतारकर ही सवारियों को बैठायेगें या उतारेगें।
- कोई भी ई-रिक्शा स्वामी अपनी ई-रिक्शा को विकलांग व्यक्ति या नाबालिग बच्चों को चलाने की अनुमति नही देंगे। ऐसा करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- सभी ई-रिक्शा स्वामी अपनी-अपनी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करायेंगे एवं हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अवश्य लगवायें व सभी ई-रिक्शाओं में वाहन चालक की पहचान डिस्पले प्लेट अवश्य लगवायें।
- कोई भी ई-रिक्शा चालक अपनी सीट पर स्वंय ही बैठेगा एवं अपने बराबर में किसी व्यक्ति / सवारी को नहीं बैठायेगा। ई-रिक्शा में अधिक से अधिक चार सवारियों को ही बैठायेगें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने पाये। हाल ही में यातायात निदेशालय लखनऊ द्वारा नाबालिग बच्चों के द्वारा ई-रिक्शा चलाये जाने का अभियान भी चालाया जा रहा है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 22.03.2025**

थाना चादंपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों को चोरी के सामान, मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर 03 अभियोगो का किया अनावरण।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री विजय पुत्र श्री ध्यान सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी की गयी है। इस संबंध में दिनांक 25.02.2025 को थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 110/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

वादी श्री नारायण सिंह पुत्र खचेडू सिंह निवासी ग्राम सून्दरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर से नगदी, आभूषण व सिलेण्डर चोरी किया गया है। इस संबंध में दिनांक 18.03.2025 को थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 331(3)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाहीः-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये तथा उपरोक्त अभियोगो में वांछित अभियुक्तगण 1- आदित्य पुत्र श्यामू सिंह निवासी होली चौक ग्राम स्याऊ कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 2- नरेन्द्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सुजमना थाना बछरायू जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 इण्डेन गैस सिलेन्डर व चोरी की 01 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा पूर्व में अलग अलग जगहो से 02 मोटरसाइकिल व एक घर में घुसकर 01 सिलेण्डर को चोरी किया गया था तथा उसने चोरी के सिलेण्डर को साथी अभियुक्त आदित्य को दे दिया था।

अभियुक्तगणों से बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आये कि बरामद मोटरसाइकिल योगेश कुमार पुत्र चिंरजी सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर देवमल नहटौर जनपद बिजनौर के नाम पंजीकृत है), जो दिनांक 20.02.2025 को थाना हल्दौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की गयी थी। इसके संबंध में थाना हल्दौर पर पूर्व से ही मु0अ0सं0 65/25 धारा 303(2) बीएनएस

पंजीकृत है। साथ ही मु0अ0सं0 110/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबधित चोरी को मोटरसाइकिल को पूर्व में ही वादी के गांव अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर के जंगल से बरामद किया जा चुका है।

अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 331(3)/305(ए) में धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी तथा वीडियो फुटेज व साक्ष्य संकलन के आधार पर ग्राम सून्दरा की घटना में केवल सिलेन्डर चोरी की घटना ही हुई है, घटना में चोरी किये गये माल का शत प्रतिशत बरामदगी की गयी है। उपरोक्त घटना में नगदी व आभूषण चोरी होना नही पाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- आदित्य पुत्र श्यामू सिंह निवासी होली चौक ग्राम स्याऊ कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- नरेन्द्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सुजमना थाना बछरायू जनपद अमरोहा

बरामदगी-

एक सिलेण्डर (संबंधित मु0अ0सं0 140/25 थाना चांदपुर)
एक मोटरसाइकिल (संबंधित मु0अ0सं0 65/25 थाना हल्दौर)

अभि0 आदित्य का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 140/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त –

1- मु0अ0स0 340/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना मण्डी धनौरा अमरोहा।

2- मु0अ0स0 313/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बछरायू अमरोहा।

3- मु0अ0स0 349/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बछरायू अमरोहा।

4- मु0अ0स0 401/23 धारा 380/411/414/482/483 भादवि0 थाना नौगावा सादात अमरोहा।

5- मु0अ0सं0 65/25 धारा 303(2) बीएनस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 110/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 140/25 धारा 305(ए)/331(3)/317(2)/317(5)/318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 शादाब थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2. मुख्य आरक्षी राहुल कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3. आरक्षी चरन यादव थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 22.03.2025**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं 179/25 धारा 131/352/351(2) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 में वांछित अभियुक्त को घटना मे अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.12.2024 को वादी सतेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम सादुल्लानगर तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि दिनांक 06.12.2024 को पंकज पुत्र सन्देश नि0 तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर व उसके साथ दो अभियुक्तो नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के छोटे भाई राजकुमार के साथ गाली-गलौज की व गोली मारने की धमकी दी गयी तथा दिनांक 20.12.2024 को पंकज उपरोक्त व सजल पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम नांगल थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर के गेट पर तमंचे से फायर किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 179/24 धारा 131/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सजल पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम नांगल थाना नांगल जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामगदी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 शस्त्र अधि0 की वृध्दि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सजल पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम नांगल थाना नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास सजल उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 119/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 300/24 धारा 110,115(2),117(2),118(1),191(2),324(4) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर

3. मु0अ0सं 179/25 धारा 131/352/351(2) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर

2.हे0का0 762 प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर

3.का0 1847 अजय कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 22.03.2025**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 36/25 धारा 109 (1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त पाठल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.03.2025 को वादी शान्ति कुमार पुत्र रोढे सिंह निवासी ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि उसके छोटे भाई संजय द्वारा वादी की पत्नी को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर पाठला से वार किया , जिससे वह घायल हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 36/25 धारा 109 (1) बीएनएस बनाम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संजय पुत्र रोठे सिंह ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त पाठल सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजय पुत्र रोठे सिंह ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी-

घटना मे प्रयुक्त पाठल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

2.का0 2144 ऋषि अत्री थाना नांगल जनपद बिजनौर

3.का0 1847 अजय कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर